


भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines
KarmyogiBhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com

Mine code-38GUJ07091

Date-18/8/2017

मिसिल संख्या :Guj/JMNG/Lst-64/Part

प्रेषित :- ShriNilesh P Panday,
NavaPara, Post-Bhatia, Tehsil-Kalyanpura
Dist-DevBhumiDwarka,
PIN-361 315Gujarat

विषय:- गुजरातराज्य केदेवभूमि द्वारकाजिले में भोगत गाँव कल्याणपुर तालुकामें आपकी भोगत चूना पत्थर खान,सर्वे नंबर 100 पी ,क्षेत्रफल4.90हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली,2017 केनियमों का उल्लंघन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 03/6/2017 को किया गया था तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली2017के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ था, तथा उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23/6/2017 को जारी किया गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule 11(1)	<p>No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines.</p> <p><i>In your case, It was observed during inspection that Mining Operations were being carried out without approved Mining Plan/Review of Mining Plan etc and area of excavation/workings is seem to be within 7.5m of statutory barrier or outside mining lease.The last mining Plan was approved vide this office letter no.682/(23)(MS)575/2007/MCCM(N) UDP dated 17/4/2008 for the period of 2009-10 to 2013-14&In approved mining plan period, lessee has been achieved the excess production of proposed limit. More so presently mine is working without approved MP/MS. The boundary of lease pillars were not available/erected as per statutes & DGPS survey of lease area as per CCOM Circular 02/2010 is not done & reported to this office till date.</i></p>
Rule 45(5)(b) & 45(5)(c)	<p>The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner.</p> <p>(b) a monthly return which shall be submitted before the 10th day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</p> <p>© an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</p> <p><i>In your case, you have not submitted the online returns from 2011-12 onwards to till</i></p>

	<i>date to this office till. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</i>
Rule55(1) (3)	<i>A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying out mining operations in accordance with these rules.</i>

02. पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान करने के उपरांत भी आप द्वारा संसंख्यक उल्लंघन पत्र दिनांक 23/6/2017 का जबाब नहीं दिया गया।

03. इस संदर्भ में पुनः आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017के नियम 11 (2)/ 45(7) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, और / या राज्य सरकार खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है।

01. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **30 दिन** के भीतर उपरोक्त नियमोंके उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

02. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन विभाग/निदेशालय, गांधीनगर, गुजरात सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खान एवं खनिज' प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर